



Central Railway

Nagpur Division.

**NOTIFICATION No. NGP/P/841/RECTT/Re-Engage Ret. Staff dated 04.04.2018**  
**IIInd PHASE (Part I) RE-ENGAGEMENT OF RETIRED RAILWAY EMPLOYEES**

Applications are invited from the retired Railway Employees, in terms of Railway Board's letter No.E(NG)II/2007/RC-4/core/1 dated 16.10.2017 for re-engagement of retired staff in Nagpur Division. The department wise / category wise requirement is as under:

S.N	Deptt	Designation	Provisional Requirement
01	Optg	Guard	50
		Pointsman	80
02	Loco Running	Loco Inspector	01
		LP (Goods)	15
		LP (Shunting)	08
		Sr ALP/ALP	15
		<b>Total</b>	<b>169</b>

**Terms & Conditions:**

- 1) The scheme is valid upto 01.12.2019.
- 2) The above category staff retired from Railway Service can only apply.
- 3) The re-engagement shall be strictly upto the age of 65 years or cut off date 01.12.2019 or till the availability of regular candidates from RRB/RRC/departmental selection, whichever is earlier.
- 4) The maximum upper age limit for re-engagement is 65 years. No re-engaged employee will continue in service beyond 65 years of age under any circumstances.
- 5) The administration is at liberty to terminate the services of the re-engaged employees even before 01.12.2019 in case their work/conduct is found unsatisfactory. Administration may terminate re-engaged employees with immediate effect as & when required or new candidate comes.
- 6) The employees, who were Removed /Dismissed/compulsorily retired as a result of disciplinary action or in service Review are not eligible for re-engagement.
- 7) The re-engaged employees are entitled only for monthly fixed remuneration, i.e. reducing pension from his /her last pay drawn, (i.e. Basic + DA) at the time of retirement. The monthly fixed remuneration plus full pension shall not exceed the last pay drawn at the time of retirement. The re-engaged employees are not

entitled to any other benefit or facilities except the monthly fixed remuneration as stated above.

- 8) The retired employee shall execute an agreement to abide by all terms and conditions of the re-engagement.
- 9) Re-engagement shall be subject to their prescribed medical fitness for the category.
- 10) Suitability, competency of the applicant shall be adjudged before their re-engagement.
- 11) Selection of retired railway employees for re-engagement is the prerogative and within the competence of the Screening Committee and no claim against the decision of the Competent Committee can be made for rejection or non-consideration for re-engagement.
- 12) Retired Railway employees applying for re-engagement should be prepared to work at any station/ place and on any position in the cadre irrespective of his post at the time of his retirement, as retired employees are being considered against over-all vacancies in particular cadre.
- 13) The duty/hours of the re-engaged employee would be the same as applicable to the post against which he/she is re-employed.
- 14) Copy of Service Certificate, Pensioner Identity Card & PPO should be attached with the application.
- 15) The last date for submission of the application is 25.04.2018 upto 18.00 hrs.
- 16) Staff retired from Railway and desirous of re-engagement should submit their applications in the prescribed format at Annexure-'A' to Recruitment section of DRM (P)'s Office, NGP on or before 25 .04.2018 or sending through post reaching by 18.00 Hrs of 25.04.2018, i.e. before the last date mentioned above.
- 17) Applications received after 18.00 Hrs of 25 .04.2018 by any way, will not be entertained.

 04/04/18

For DRM(P)NGP

Proforma of Application

Annexure 'A'

Application for re-engagement on Nagpur Division, Central Railway  
(Notification No. NGP/P/841/RECTT/Re-Engage Ret. Staff dated 04.04.2018 )

To,  
Divisional Railway Manager (P)  
Recruitment Section,  
Nagpur Division  
Central Railway.

I hereby apply for re-engagement for the post of \_\_\_\_\_, (level \_\_\_\_  
in 7<sup>th</sup> CPC), in Central Railway on monthly remuneration basis, on terms and conditions  
mentioned in the said notification. My service particulars are as below:

1.	Name:	
2.	Designation at the time of retirement:	
3.	Division/Unit/Department from where retired:	
4.	Date of Birth:	
5.	Date of retirement on superannuation:	
6.	Retirement or other than normal retirement:	
8.	Address for correspondence:	
9.	Aadhar No.	
10.	Pan card No	
11.	Tel./Mbl No.	
11.	Last pay Drawn: PB+GP/Level in 7 <sup>th</sup> CPC Rs. 55200 (Level __ ) (Substantive)	
12.	PPO No.	date
13.	Enclosure (copy documents); a) Service Certificate b) Pension Identity Card c) Pension Payment Order	PPO

I declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and I am liable for punitive action if found false/incorrect. I also declare that I have gone through the terms and conditions stipulated in the Notification and I shall abide by them.

Place: Nagpur

Date:

Signature of the Applicant  
Name:

**अधिसूचना संख्या नाग/पी.841/भर्ती/री-एंगेज रिट.स्टाफ दिनांक 04.04.2018**  
**सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के रीएंगेजमेंट का द्वितीय चरण (भाग-I)**


रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.10.2017 के पत्र संख्या ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 के संबंध में नागपुर मंडल में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को रीएंगेजमेंट करने के लिए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभागवार/श्रेणीवार आवश्यकता निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	विभाग	पदनाम	अस्थायी आवश्यकता
01	परिचालन	गार्ड	50
		कांटेवाला	80
02	लोको रनिंग	लोको इंस्पेक्टर	01
		लोको पायलट (गूड्स)	15
		लोको पायलट (शॉटिंग)	08
		प्र.स.लो.पा/ स.लो.पा	15
		कुल	169

**नियम एवं शर्तें :**

- 1) योजना दिनांक 01.12.2019 तक वैध है।
- 2) केवल रेलवे से सेवानिवृत्त उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं।
- 3) उक्त पदों के लिए पुनः नियुक्ति अनिवार्य रूप से केवल 65 वर्ष की आयु तक अथवा दिनांक 01.12.2019 की कट-ऑफ तारीख तक अथवा आरआरबी/ आरआरसी/विभागीय चयन से उस पद पर किसी नियमित उम्मीदवार की उपलब्धता होने तक, इनमें से जो भी सबसे पहले लागू हो, तब तक ही उक्त रीएंगेजमेंट की जाएगी।
- 4) रीएंगेजमेंट के लिए अधिकतम आयु की सीमा 65 वर्ष रखी गई है। किसी भी परिस्थिति में रीएंगेजमेंट किए गए कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात उनकी सेवा को नियमित नहीं रखा जाएगा।
- 5) रीएंगेजमेंट कर्मचारियों की सेवा उनके कार्य/आचरण को असंतोषजनक पाए जाने पर दि. 01.12.2019 के पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार प्रशासन को है। प्रशासन को जब चाहे अथवा नए उम्मीदवारों के आने पर तत्कालीन प्रभाव से सेवा समाप्त करने का अधिकार है।
- 6) किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा सेवा की समीक्षा करने के पश्चात सेवा से बर्खास्त किया हो/हटाया (डिसमिस किया) गया हो/अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया हो, तो ऐसे कर्मचारियों को रीएंगेजमेंट नहीं किया जाएगा।
- 7) रीएंगेजमेंट कर्मचारी केवल निश्चित मासिक पारिश्रमिक अर्थात् उसके/उसकी सेवानिवृत्ति के समय तय हुई अंतिम पेंशन (अर्थात् मूल वेतन + डी ए) से घटाई गई पेंशन के लिए पात्र होंगे। निश्चित मासिक पारिश्रमिक और संपूर्ण पेंशन का योग उसके सेवानिवृत्ति के समय के अंतिम वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। रीएंगेजमेंट किए गए कर्मचारी, उपर्युक्त दर्शाए गए निश्चित मासिक पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई लाभ या किसी प्रकार के लाभ पाए नें इत्यादि नहीं होंगे।

- 8) सेवानिवृत्त कर्मचारी को रीएंगेजमेंट पर रखे जाने के लिए बाध्य निर्धारित नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए करारपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9) जिस श्रेणी के लिए कर्मचारी की रीएंगेजमेंट की जा रही है, उस श्रेणी के लिए अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही उस कर्मचारी की रीएंगेजमेंट की जाएगी।
- 10) रीएंगेजमेंट के पूर्व आवेदक के सक्षम एवं योग्यता की जांच की जाएगी।
- 11) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का रीएंगेजमेंट के लिए चयन करने का विशेषाधिकार स्क्रीनिंग कमिटी को है और इसपर निर्णय लेना स्क्रीनिंग कमिटी के अधिकार श्रेत्र में आता है। उसी प्रकार सक्षम कमिटी के द्वारा रीएंगेजमेंट के लिए आवेदन अस्वीकार करना अथवा उसपर विचार नहीं करने के निर्णय के विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता है।
- 12) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्त होते समय उस केंद्र में किसी भी पद पर, किसी भी स्टेशन में कार्यरत हो, परंतु रीएंगेजमेंट के लिए आवेदन करने पर उन्हें उपलब्ध रिक्तियों अनुसार केंद्र में किसी भी पद पर, किसी भी स्टेशन/स्थान पर कार्य करने के लिए तैयार होना अपेक्षित है।
- 13) रीएंगेजमेंट किए गए कर्मचारी के कार्य/घंटे उसके द्वारा आवेदित पद के लिए लागू समय के बराबर होंगे।
- 14) किसी एक की प्रतिलिपि अर्थात् सेवा प्रमाणपत्र, पेंशनर पहचान पत्र और पीपीओ आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
- 15) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.04.2018 को 18.00 बजे तक है।
- 16) रेलवे से सेवानिवृत्त तथा रीएंगेजमेंट के लिए बांछनीय कर्मचारियों ने उनके आवेदन परिशिष्ट-क में निर्धारित फार्मेट में भरकर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय, मध्य रेल, नागपुर के भरती अनुभाग में दि. 25.04.2018 को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए अथवा डाक द्वारा भेजने से दि. 25.04.2018 को 18.00 बजे तक अर्थात् उपर्युक्त उल्लेखित अंतिम तिथि के पहले पहुँचना चाहिए।
- 17) दिनांक 25.04.2018 को 18.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा।



(राजेन्द्र एस बारापात्रे)

सकाधि(इंजी)

कृते मरप्र(का) नागपुर

**परिशिष्ट-क**  
**नागपुर मंडल, मध्य रेलवे पर पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन**  
**(दि.04.04.2018 की अधिसूचना सं. नाग/पी.841/भर्ती/सेवानिवृत्त कर्मचारी की रीएंगेजमेंट)**

प्रति,  
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
भरती विभाग, मध्य रेल,  
नागपुर मंडल.

मैं एतद्वारा मध्य रेल के ----- पद (सातवे वेतन आयोग में ----- लेवल) के लिए अधिसूचना में दिए गए नियम एवं शर्तों के तहत मासिक पारिश्रमिक आधार पर रीएंगेजमेंट हेतु आवेदन करता हूँ मेरा सेवा विवरण निम्नानुसार है :-

1	नाम	
2	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
3	मंडल/यूनिट/विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए	
4	जन्मतिथि	
5	अधिवाषिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि	
6	सेवानिवृत्ति अथवा सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावा कोई सेवानिवृत्ति ली हो उसका नाम	
7	पत्राचार के लिए पता	
8	आधार नंबर	
9	टेलीफोन/मोबाईल नंबर	
10	अंतिम प्राप्त वेतन : पीबी + जीपी/सातवे वेतन आयोग में (वास्तविक) लेवल रु.55200 (लेवल ----- )	
11	पीपीओ नं. तारीख	
12	संलग्नक (कागजातों की कॉपी) अ) सेवा प्रमाणपत्र ब) पेंशन पहचान पत्र क) पेंशन भुगतान आदेश	

मैं घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे अनुसार सही है तथा जानकारी झूठी/असत्य मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दी गई नियम तथा शर्तों को ध्यान से पढ़ा है तथा मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान : नागपुर  
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर -----  
नाम :